

## राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.मे.)अवकाश / 1499 / 2021

दिनांक 07.07.2021

श्री राजेश चन्द्र गुप्ता (RJ0268), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, नैगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, अजमेर को दिनांक 10.06.2021 से 13.06.2021 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश (ग्रीष्मावकाश की निरन्तरता में) स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, नैगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, अजमेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश में लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, नैगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, अजमेर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.वी.र(4)/90/1996/ 4291

दिनांक 07.07.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जोधपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, नैगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, अजमेर को उनके पत्रांक 336 दिनांक 24.06.2021 के संदर्भ में।
3. श्री राजेश चन्द्र गुप्ता (RJ0268), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, नैगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, अजमेर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, नैगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, अजमेर।

सहायक रजिस्ट्रार